

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

22
दिनांक 09-11-15

Xendhira Bhowan, 5th Floor, Sector 'H' Aligarh, Lucknow-226021
Email (Env) in env@mvilindia.com, (Forest) goinsef@mvilindia.com

प्र. सं. 84/राज/06/11/2008/एफसीओ/976

दिनांक 09-11-15

प्रमुख सचिव (वन)
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय: 5 वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बाद भी सैदापुरीक स्वीकृति में स्पष्टता नहीं की अनुपालन न प्राप्त होने के कारण स्वीकृति को रद्द करना।

इस कार्यालय का पत्रांक - 84/राज/06/11/2008/एफसीओ/477, दिनांक - 10.08.2015

आपका पत्र इस कार्यालय के समक्ष 22.07.2015 की ओर आकर पड़ा है जिसकी तहत प्रकरण को निम्न प्रकार नीचे दिया गया है।

प्रस्ताव का नाम	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिला बारा में सड़क पट्टी से मठगांव के निर्माण हेतु 1.50 हे. वन भूमि का प्रत्यवर्तन।
वन का संख्या	पट्टा(36)वन/07, दिनांक - 07.01.2008
प्रस्ताव अधिकरण	अधिरक्षारी अभियन्ता, सामाजिक निर्माण विभाग प्रथम बीम, राजस्थान।
प्रस्ताव का प्रमाण	1.50 हे. मण्डल वनाधिकारी बारा राजस्थान।

इस प्रकरण में 5 वर्षों से ज्यादा की अवधि व्यतीत होने के बाद भी प्रकरण का प्रस्ताव सैदापुरीक स्वीकृति की अनुपालन प्राप्त नहीं हुई है। अतः वन में इस कार्यालय के उपरोक्त सड़कित वन द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि प्रस्ताव सैदापुरीक स्वीकृति की अनुपालन आख्या 45 दिनों के भीतर उपलब्ध न होने की दशा में प्रस्ताव का प्रस्ताव सैदापुरीक स्वीकृति को रद्द कर दिया जाएगा। किन्तु 45 दिनों की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी राज्य सरकार से प्रस्ताव का प्रस्ताव स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

इस वृत्ति को सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में जारी सैदापुरीक स्वीकृति में तत्समिति शर्तों की अनुपालन 5 वर्षों से ज्यादा की अवधि व्यतीत होने के बाद भी न प्राप्त होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 2002 के धारा 3 (2) में प्राधान्य के अनुसार प्रकरण में जारी स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। यही वही स्पष्ट किया गया है। इस प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने हुए किसी भी प्रकार का पैर न चढ़ा है जो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होने और सम्बन्धित अधिनियम/नियम के तहत कार्रवाई के पात्र हैं।

मदनीय

(अमित मिश्र)

उप वन सहायक (केंद्रीय)

संकेत को सुनवाई:-
जिला बारा (एक सं.) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
जिला बारा (एक सं.) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
जिला बारा मुख्य वन सहायक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी वन विभाग, अरण्य भवन, झालवा इण्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान।
जिला बारा, बारा, राजस्थान।
जिला बारा, सामाजिक निर्माण विभाग प्रथम बीम, राजस्थान।
जिला बारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
जिला बारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।

(अमित मिश्र)

उप वन सहायक (केंद्रीय)